उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या- 14/2017/761/सत्रह-म-2017-।।-।(4)/2007

लखनऊ: दिनांक 18 मई 2017

शुद्धि-पत्र

मोबाइल फिश पार्लर योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 के लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 6.875 लाख की वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश संख्या- 12/2017/557/सत्रह-म-2017-।।-।(4)/2007 दिनांक 05 अप्रैल 2017 मत्स्य उत्पादन अनुभाग द्वारा निर्गत किया गया है। शासनादेश में दिनांक 08-05-2017 के स्थान पर त्रुटिवश 05 अप्रैल् 2017 अंकित हो गया है। अत: उक्त उल्लिखित शासनादेश में अंकित दिनांक 05 अप्रैल् 2017 के स्थान पर दिनांक 08-05-2017 पढा जाय।

2 शासनादेश संख्या- 12/2017/557/सत्रह-म-2017-।।-।(4)/2007 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- 14/2017/761(1)/सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2 महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3 निदेशक मत्स्य मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4 संयुक्त निदेशक मत्स्य मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5 सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
6 वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7 वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/नियो0अनु0-1
8 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।